किसानों के लिए मोदी की सरकार में हुए बेहतर कार्य : सतीश चंद्र

जिले के किसानों की आमदनी काफी बढ़ी : राधामोहन

किसान सम्मान समारोह का आयोजन

पीपराकोठी/पू.च/सं। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के अटल सभागार में बुधवार को किसान लाभार्थी सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने किया, जबकि मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दूबे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, कुलपति डॉ. पीएस पांडेय, केविके प्रमुख डॉ. अरविन्द कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रजवलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का स्वागत मोमेंटो, पुष्प गुच्छ एवं शाल भेंट कर किया गया। इस अवसर पर सांबोधित कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि कभी चम्पारण में नीलहो के अत्याचार से मुक्ति के लिए बापू ने चम्पारण सत्याग्रह आरंभ कर नीलहो को भगाया और वर्तमान में इसी चम्पारण में दूसरा बापू राधामोहन सिंह ने मोदी के शासन काल में किसानों के लिए बेहतर कार्य करते हुए किसानों कि आमदनी बढ़ाने के बेहतर कार्य किया है। वर्ष 2014 के पूर्व भी योजनाएं बनती थी, लेकिन सिर्फ कागजो में सिमट कर रह जाती थी, परन्तु मोदी शासनकाल में अब सीधा किसानों को इसका लाभ पहुंच रहा है। वही पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि जबसे हमने खेती के साथ बाड़ी को छोड़ा है, तब से किसानों के हालत बेहतर हुए है। मोदी सरकार ने खेती के साथ बाड़ी को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से फल, फूल, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मछली पालन, आदि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला कर किसानों की आमदनी को बढ़ाया है। मौके पर गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक श्यामबाबू यादव, सुनीलमणि तिवारी, कुलपति डा पीएस पाण्डेय, डॉ. अंजनी कुमार निदेशक, अटारी पटना, डीएओ मनीष कुमार सिंह, कृषि प्रक्षेत्र प्रबंधक मनीष कुमार, वैज्ञानिक डॉ. एनबी चनू, डॉ. गायत्री कुमारी पाठी, डा शीर्षत तेजस्विनी कपिल, डॉ. आशीष राय, डॉ. अंशु गंगवार, डॉ. दिब्या कुमारी, डॉ. उदय राम गुर्जर, प्रगतिशील किसान राजेश कुमार, राजू सिंह पटेल, जटाशंकर सिंह, दुर्गा सिंह, जयशंकर सिंह, श्यामाकांत सिंह, योगेंद्र बैठा, सहित सैकड़ो वैज्ञानिक व किसान मौजूद थे।

ट्रेन से कटने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत

रक्सौल/पू.च/सं। रक्सौल- सीतामढ़ी रेल खंड के रक्सौल प्रखंड के सहदेवा गांव के पास ट्रेन से कटने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। जब सुबह लोग टहलने निकले तो रेलवे ट्रैक के पास कटा हुआ शव देखा गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा रक्सौल पुलिस व रेल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना में बाद आरपीएफ और रक्सौल पुलिस ने घटनास्थल पहुंच जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। मृतक की पहचान के लिए कोई भी पहचान नहीं हो पायी है। मृतक ने जो शर्ट पहना है उसमें टेलर का नाम न्यू विजय फैंसी टेलर ढाका लिखा हुआ है। रक्सौल थानाध्यक्ष राजीव नंदन ने बताया कि टेलर के टैग के माध्यम से मृतक की पहचान की जाएगी।

भौतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 228ए, एजेसी बोस रोड, कोलकाता- 700020. CIN नंबर: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	मृदुला साहू / नवनीत कुमार/ पत्नी विष्णुदेव साहू, वार्ड 13, उत्तरी हाजीपुर विष्णु भवन काली मंदिर के पास, खगड़िया, बिहार, खगड़िया- 851204/ LBBUS00005193890	मौजा हाजीपुर, खाता संख्या 129, खसरा संख्या 6, वार्ड संख्या 13, तौजी संख्या 525, थाना संख्या 267, पी.एस. ब्लॉक, नगर पालिका, सदर रजिस्ट्री और जिला खगड़िया, बिहार क्षेत्रफल 10 धुर/ भौतिक कब्ज़े की तिथि 02.09.2024	मार्च 29, 2023 रु. 30,42,890/-	खगड़िया

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार(रों)/सह-कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् कब्जे की संपत्ति(याँ) नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : सितंबर 05, 2024
स्थान : खगड़िया

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

अगलगी की घटना में दो लोगों के घर जलकर राख

रक्सौल/पू.च/सं। रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत मंगलपुर गांव में दो घरों में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में प्रभु सिंह व सुबोध कुमार का आवासीय घर जल कर राख हो गया। पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्रभु सिंह और सुबोध कुमार के घर में अचानक आग लग गई। घर में रखें सभी सामान जलकर राख हो गए हैं। यह घटना रात्रि के लगभग एक बजे की है। उस वक्त घर में सब लोग सोए हुए थे। घर में अचानक आग की लपटों को देख वे लोग घर से बाहर निकल गए और शोर मचाने लगे। शोर पर ग्रामीण एकत्र होकर आग पर काबू पाया। तबतक घर में रखे सामान राख हो गए थे। मुखिया ने बताया कि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मुखिया ने बताया कि एक लाख से ज्यादा की क्षति हुई है।

चोरी की स्कॉर्पियो वं बाइक के साथ पांच गिरफ्तार

मोतिहारी/सं। नगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कुंआरी माई से अवधेश चैक के रोड में एक बाइक पर सवार दो सन्दिग्ध को गिरफ्तार किया। इसके पास से 180 एमएल की एक शराब का पैकेट बरामद किया गया। दोनों से पूछताछ के आधार पर मुफसिल थाना क्षेत्र में रेड कर चोरी की एक स्कार्पियो के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले में गिरफ्तार किए गए शातिर मुफसील थाना क्षेत्र का पप्पू कुमार एवं मुन्ना कुमार है, जो शराब का होम डिलीवरी करता है। वही अन्य तीन गिरफ्तार, बंजरिया का इश्तेहाक आलम, मो. नौशाद व अंजुम शामिल हैं। इस सम्बंध में एएसपी शिखर चैधरी ने बताया कि पुलिस ने उक्त बदमाशो से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी शराब की तस्करी करते हैं और चोरी की गाड़ियो की खरीद- बिक्री के धंधे में भी इनलोगो के नाम सामने आये है। इनका क्राइम हिस्ट्री भी खंगाला जा रहा है। छापेमारी में नगर थानाध्यक्ष विजय कुमार, एसआई अखिलेश प्रसाद सिंह, पीएसआई प्रवीण कुमार पांडेय सहित सशस्त्र बल शामिल थे।

अपने ही साथ लूट की साजिश रचनेवाला किशोर गिरफ्तार

कोटवा/पू.च/सं। लूट कांड का खुद के बनाये जाल में फंस कर एक किशोर को जेल जाना पड़ा। दरअसल भोपतपुर थाना क्षेत्र के नयका टोला चैक के समीप मंगवार की शाम बाइक व एक लाख की लूट होने की बात सामने आई। इस घटना को लेकर स्थानीय गांव का एक किशोर अपने पिता व बहनोई के साथ थाने पहुचकर पुलिस को लूट होने की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल मामले कार्रवाई शुरू की और तीन घण्टे में इस घटना का भंडाफोड़ करते हुए लूट की साजिश रचने वाले किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत डीएसपी सदर 2 जितेश पांडेय ने बताया कि पिता से बहन के घर देने के लिए किशोर को एक लाख रुपया मिला था। इस बीच उसका शातिर दिमाग चला और उसने उक्त रकम को ऐश -मौज के लिए गायब करने की तरकीब सोंची और फिर लूट की कहानी बना डाली। अलबत्ता यह भी कहा जा रहा था कि किशोर ने कुछ दोस्तों से कर्ज ले रखा था जो उक्त रकम को हड़प कर दोस्तो को दे दिया। किशोर के जब्त किए गए मोबाइल फोन में भी कई ऐसी तस्वीर व वीडियो पुल्स को मिली है जिससे उसके अभ्यासी करने के सबूत मिले हैं। इधर पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया हेतु भेज दिया। पुलिस टीम में भोपतपुर थानाध्यक्ष आरजू सोमैया, एसआई रामेश्वर भंडारी विजय बहादुर सहित सशस्त्र बल शामिल थे।

जमीन पर कब्जा करने से रोकने पर मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल

हरसिद्धि/पू.च/सं। जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर रहे लोगों को रोकने गए किसान सहित उसके आधा दर्जन परिजनों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। घटना बैरियाडीह वार्ड 3 की घटना है। जख्मी किसान महेंद्र सिंह, सोनू कुमार, वसिष्ट सिंह, कुंदन कुमार, पुण्यदेव सिंह है। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर जख्मी महेंद्र सिंह ने रामु सहनी, रामसूरत सहनी, राजू सहनी, लालबाबू सहनी, भोला सहनी पर एफआईआर दर्ज कराया है। बताया है कि उसके जमीन पर उक्त लोग जबदस्ती दखल कब्जा कर रहे थे। अपने परिजनों के साथ रोकने के लिए खेत में पहूंचे। जहां रामू सहनी और रामसूरत सहनी बंदूक लेकर खड़े थे।

तीन फ्रॉड 8 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार

एक चोरी कांड का अभियुक्त भी भेजा गया जेल

कोटवा पू.च/सं। एटीएम कार्ड बदल कर पैसा उड़ाने वाले तीन बदमाश को पुलिस ने 8 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी कांड के एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। बताते हैं कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों एटीएम फ्रॉड को एनएच 27 ओभर ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। ब्रिज के नीचे स्थित एसबीआई के एटीएम के पास तीनो संदिगध स्थिति में घूम रहे थे, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी संग्रामपुर थाने के श्यामपुर बरवा गांव का मिथलेश कुमार, रणजीत राम, अजय राम बताया गया है। इस बाबत सदर-2 डीएसपी जितेश पांडेय ने बताया है कि गिरफ्तार बदमाशो के पास से चोरी व हेराफेरी किये गये कुल 8 एटीएम कॉर्ड बरामद किये गये है। ये सभी अलग-अलग बैंको के है। इसके अलावे तीन स्मार्ट फोन, एक बटन वाला मोबाइल फोन, 26840 रुपया कैश, एक हीरो एचएफ डीलक्स बाइक व एक काला मास्क जब्त किया गया है।

नोट डबलिंग में शामिल होमगार्ड के दो जवान पर गिरी गाज

तुरकौलिया/पू.च/सं। होम गार्ड जवान के वायरल वीडियो मामले में एसपी कांतेश मिश्रा ने करवाई की है। होम गार्ड के जवान हरी साह व चुमन पासवान उर्फ हरिशंकर को ड्यूटी से दो साल के लिए वंचित कर दिया है। जवान हरी मुरारपुर व हरिशंकर परशुरामपुर का रहने वाला है। मालूम हो एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमे दो जवान को एक बाइक सवार खदेड़ रहा था। जवान बाइक से भाग रहे थे। दोनो को मुरारपुर बघहुत के आगे पकड़ लिया गया। जहां स्थानीय होने के कारण दोनो जवान को ग्रामीणों का स्पोर्ट मिला। और बाइक से भाग गए। उक्त घटना 29 अगस्त को सुबह की थी। ग्रामीणों से गहन पूछताछ व डीयूआई की टीम के जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट को डीएसपी अभिषेक ने सौंपा है। डीएसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट सौंप दिया गया है। जिसमे दोनो जवान की संलिप्तता मिली है। जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद एसपी ने कहा है कि दोनो जवान को दो साल तक ड्यूटी से वंचित किया गया है। साक्ष्य मिलने पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

हत्या के आठ अपराधियों के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चस्पाया

चकिया/पू.च/सं। थाना क्षेत्र के कोयलाबेलवा के बखरी गांव के एक युवक की हत्या में शामिल आठ फरार अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने बुधवार को इस्तेहार चिपकाया। इस अवसर पर पुलिस ने डुंग-डूगी बजवा कर लोगों को जानकारी दी कि दो दिन में सभी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होते है तो उनके घर कुर्की जब्ती की करवाई की जाएगी। हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर पर न्यायालय का इस्तेहार चिपकाया गया है, उनमें बांसघाट कोंहिया गांव के अब्दुल्लाह अंसारी, जैनुल्लाह अंसारी, वसीम अकरम, साहिल मंसूरी, अरमान मंसूरी, सरफराज अंसारी, बिकाऊ मियां उर्फ अकबर मियां व सज्जाद आलम शामिल है। उल्लेखनीय है कि बीते मुहर्रम के दिन बांसघाट बाजार से मुहर्रम का मेला देख लौट रहे कोयलाबेलवा के बखरी गांव निवासी अरबाज आलम व उसके चचेरे भाई आजाद अली को उपर्युक्त अभियुक्तों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसमें ईलाज के दौरान अरबाज आलम की मौत हो गयी थी। इस सम्बन्ध में इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी की जा रही है।

मीना बाजार क्षेत्र अब से जल जमाव की शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई : गरिमा

मंगलवार की दोपहर और शाम की बारिश के बाद जल जमाव होने की शिकायत मिलने पर पहुंचीं महापौर

बेतिया/सं। महापौर गरिमा देवी सिकारिया कहा कि मीना बाजार क्षेत्र अब से जल जमाव की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। मंगलवार की दोपहर और शाम की बारिश के बाद मीना बाजार के सोनरपट्टी तथा अन्य क्षेत्र में जल जमाव हो जाने की शिकायत मिलने पर वे पार्षद और सशक्त समिति सदस्य मनोज कुमार, सफाई निरीक्षक मोहम्मद तबरेज, घारी प्रभारी जुलुम साह तथा अन्य लोगों के साथ पहुंचीं थीं। मौके पर मिले स्थानीय व्यवसाई संघ के द्वारा बताया गया कि मीना बाजार क्षेत्र के नाले की एक छोर से दूसरे छोर तक के नालों की उड़ाही वर्षों से नहीं हुई है। सामान्य साफ सफाई व्यवस्था के लिए भी व्यवसाई संघ के द्वारा निजी तौर पर सफाईकर्मियों को लगाया गया है। महापौर ने इस पर ऑन स्पॉट जारी आदेश में वहां स्याई तौर पर चार सफाई कर्मियों की नगर निगम से स्थाई तैनाती का आदेश दिया। तैनात सफाईकर्मी, सफाई निरीक्षक और व्यवसायीगण की मौजूदगी में तय हुआ कि रोजाना सुबह पांच बजे पहुंच कर तैनात सफाईकर्मी मीना बाजार की नालियों के अतिरिक्त बड़े और मुख्य नालों की उड़ाही शुरू करेंगे। इसके साथ ही महापौर श्रीमती सिकारिया ने नालों को स्वेच्छा से सहयोग पूर्वक अतिक्रमण मुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर ही अच्छे से पूरी सफाई होगी और मीना बाजार क्षेत्र जल जमाव मुक्त बन सकेगा। मौके पर ओबैद अहमद, श्याम कुमार, रविन्द्र ठाकुर सहित मीना बाजार के सैकड़ो व्यवसायी उपस्थित रहे।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BAORD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURES REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

THIS ADVERTISEMET IS MADE FOR RESUBMISSION OF DRAFT OFFER DOCUMENT PURSUANT TO SEBI CIRCULAR SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/009 DATED FEBRUARY 06, 2024.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

BMW VENTURES LIMITED

BMW VENTURES LIMITED

Our Company was originally incorporated as "BMW Ventures Limited" at Patna, Bihar on October 07, 1994, as a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Bihar, Patna, bearing Corporate Identification Number U25111BR1994PLC006131 and Certificate of Commencement of Business was issued on October 19, 1994 at Patna.

Registered and Corporate Office: 1st Floor, Mona Cinema Complex, East Gandhi Maidan, Patna-800004;
Tel. No: +91 81022 23771/74; **E-mail:** cs@bmwventures.com; **Website:** www.bmwventures.com;
Contact Person: Ruchika Maheshwari Kejriwal, Company Secretary and Compliance Officer **Corporate Identity Number:** U25111BR1994PLC006131

PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. BIJAY KUMAR KISHOREPURIA, MRS. SABITA DEVI KISHOREPURIA, MR. NITIN KISHOREPURIA, MRS. RACHNA KISHOREPURIA, BMW FIN-INVEST PRIVATE LIMITED AND RIDHISIDHI FINCON PRIVATE LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 2,34,18,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (THE "ISSUE"). THE ISSUE WOULD CONSTITUTE 27.00% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This is an Offer in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company and the Promoter Selling Shareholder, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders of which one-third portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹2 lakhs and up to ₹10 lakhs and two-third portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹10 lakhs, provided that unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price all potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Banks under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For further details, see "Issue Procedure" on page 335.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 04, 2024 with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) on September 04, 2024. Further, This Draft Offer Document is resubmitted to SEBI for its observations pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/009 dated February 06, 2024. The Initial Draft Offer Document was filed on June 28, 2024 which was returned by SEBI vide its letter dated July 23, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the BRLM at www.sarthi.in, our Company at www.bmwventures.com, and the Stock Exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI in respect of disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company or the BRLM in relation to the Issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 33.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been registered with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

The liability of the members of our Company is limited by shares. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 201 of the DRHP. For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories of the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, please see *"Capital Structure"* beginning on page 96 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
SARTHI **Sarthi Capital Advisors Private Limited** **CIN:** U65190DL2012PTC238100 401, 4th Floor, Manek Plaza, 167, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400 098 **Tel No.:** +91 22 2652 8671/ 72 **Email Id:** compliance@sarthiwm.in **Website:** www.sarthi.in **Contact Person:** Mr. Deepak Sharma **SEBI Registration No.:** INM000012011	CAMEO **Cameo Corporate Services Limited** **CIN**: U67120TN1998PLC041613 Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai-600002 **Tel No.:** +91 44 4002 0700 **E-Mail Id:** bmw@cameoindia.com **Investor Grievance E-Mail Id:** investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Contact Person**: K. Sreepriya **SEBI Registration No.:** INR000003753

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DRHP.

For BMW Ventures Limited
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Ruchika Maheshwari Kejriwal
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: September 04, 2024

BMW Ventures Limited *is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 04, 2024 with SEBI on September 04, 2024. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com, BSE at www.bseindia.com and the website of the BRLM at www.sarthi.in and our Company at www.bmwventures.com. Any potential investor should note that the investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to risk, please see to the section titled "Risk Factors" of the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decisions. Specific attention of the Investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 33 of the DRHP.*

*The Equity Shares offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933, as amended (***"U.S. Securities Act"***) or any other applicable laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the* U.S. Securities Act *and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions as defined in and in reliance on regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.*

Sunjeet Comm.